कृ.म.ता. अहकाम ... हुक्म कोई ... जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 24 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां

(प्रार्थी)

बनाम

राधेश्याम आत्मज प्रतापसिंह जाति–जाट निवासी–मालमबोरी
हाल निवासी–दिल्ली गेट झज्जर जिला–झज्जर (हरियाणा)

(अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलक्टर ... (रा.)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 18.02.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 120 रकबा 2.50 है0 किस्म माल वाके ग्राम माल बमोरी तहसील–मॉगरोल वर्तमान मे अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र प्रतापसिंह जाति–जाट नि. झज्जर जिला–झज्जर (हरियाणा) के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा है, जिसके सम्वत् 2044–62 जमाबन्दी में खातेदार श्री जवाहरलाल पुत्र रामप्रसाद कोम छीपा सा.सीसवाली के खाते दर्ज है। उक्त आराजी ख0नं0 120 रकबा 2.50 है0 सम्वत् 2015–23 में गै.मु.तलाब दर्ज है। जिसका आवंटन अप्रार्थी जवाहरलाल पुत्र रामप्रसाद छीपा के पूर्वज को किया गया है। अप्रार्थी खातेदार राधेश्याम पुत्र प्रतापसिंह जाति–जाट निवासी मालबमोरी ने उक्त सम्पूर्ण आराजी ख0नं0 120 रकबा 2.50 है0 खातेदार जवाहरलाल पुत्र रामप्रसाद से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.2012 से खरीद की गयी है। चूकि उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये मूल खातेदार को उक्त भूमि का किया गया आवंटन एवं अप्रार्थी द्वारा खरीदी गयी भूमि का बेचान नियम विरूद्व है। प्रकरण ... रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ... 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि ... विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन / नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत गै. मु तालाब की स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर (बारां)

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर दिनांक 14.01.2021 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि उक्त विवादित आराजी ख0नं0 120 रकबा 2.50 है0 वाके माल बमोरी अप्रार्थी ने खातेदार जवाहरलाल पिता रामप्रसाद छीपा नि. सीसवाली हाल निवासी डी.ए.जी.ए. हॉस्पीटल बालोतरा जिला—बाडमेर से दिनांक 08.11.2012 को 21,87,500/—रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद की है जिसका नामान्तरण संख्या 1049 दिनांक 05.12.2012 से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज की गयी है। अप्रार्थी सदभावी केता है। प्रकरण में जवाहरलाल को पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिये प्रकरण चलने योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय रिट याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश में नदी/नाले के बहाव क्षेंत्र में निर्माण नहीं करने, खनन नहीं करने एवं पानी के बहाव को दूषित नहीं करने के निर्देश दिये गये है। निर्णय में यह नहीं कहा कि कृषि कार्य हेतु आवंटन/नियमन नहीं किया जावे ना हीं इनके आवंटन को निरस्त किया जावे। उसकी भूमि पानी के बहाव क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है, ना हीं उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण है। उक्त आराजी केवल अप्रार्थी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रस्तुत रेफरेंस बिना तथ्यों के प्रस्तुत किया है जो काबिल खारजा है। चूकि उक्त आराजी अप्रार्थी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय खरीद की है। अप्रार्थी सदभावी केता है। उक्त आराजी पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई तालाब या तलाई विद्यमान नहीं है। प्रार्थी सरकार द्वारा गलत तरीके से रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत रेफरेंस निरस्त किया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि विवादित आराजी खं0 नं. 120 रकबा 2.50 है0 किस्म माल I वर्तमान में अप्रार्थी राधेयाम पुत्र प्रतापसिंह जाट नि. झज्जर(हरियाणा) के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. तालाब है जो सम्वत 2015—23 की जमाबन्दी से स्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी खातेदारी जवाहरलाल [illegible]मप्रसाद छीपा से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद की है, चूकि उक्त आराजी [illegible] तालाब है जो खेतीहर नहीं है। उक्त भूमि को अप्रार्थी [illegible] करने का अधिकार है। ना हीं अप्रार्थी केता राधेश्याम को भूमि खरीद करने का अधिकार है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। भूमि की किस्म गै.मु. तालाब होने से अप्रार्थी को उक्त क्रय—विक्रय नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे आवंटन व विक्रय प्रारम्भतः ही शून्य है, इसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आराजी को पूर्ववत गै.मु. तालाब दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ने उक्त आराजी खातेदार जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद छीपा सा. सीसवाली से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.2012 से खरीद की है, जो नामान्तरण संख्या 1049 दिनांक 5.12.2012 से उसके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है। जिस समय अप्रार्थी ने खातेदार जवाहर लाल से भूमि खरीद की थी, तब उक्त भूमि की किस्म माल प्रथम थी। अप्रार्थी ने इसी आधार पर उक्त भूमि कय की है। उक्त आराजी माल I है जिसपर लगातार कई वर्षो से काबिज काश्त है। मौके व आसपास की सारी कृषि भूमि भी काश्त हो रहीं है। उक्त भूमि का स्परूप तालाब/तलाई या बहाव क्षेत्र नहीं है। अप्रार्थी सदभावी केता है। प्रकरण में मूल खातेदार जवाहर लाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उसे बिना सुने रेफरेंस का निस्तारण नहीं किया जा सकता।

साथ हीं कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय रिट याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में नदी/नाले के बहाव क्षेत्र में निर्माण नहीं करने, खनन नहीं करने एवं पानी के बहाव को दूषित नहीं करने के संबंध में आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि कृषि काश्त योग्य भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किया जावे। माननीय मण्डल द्वारा समय–समय पर आदेश पारित किये गये है जिनमें स्पष्ट निर्देश दिये है कि यह जॉच कर रेफरेंस पेश किया जावे या रेफरेंस में आदेश पारित किया जावें कि उक्त आराजी के आवंटन/नियमन से गै.मु. तालब/तालई/नदी या बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई रूकावट अथवा व्यवधान तो पैदा नहीं हो रहा। मौके पर भूमि काश्त योग्य है या नहीं। प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा बिना कोई जॉच पडताल किये मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिये सरसरी तौर पर रेफरेंस प्रस्तुत किया है, जो उन्हे पेश करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार को इन तथ्यों की जॉच व परीक्षण उपरान्त यदि कोई कृषि भूमि इन प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है तो उसका रेफरेंस प्रस्तुत किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन मे फर्द दस्तावेज व विधि दृष्टांत RRT 2016(1) 396 सरकार बनाम चतुर्भज व अन्य आदेश दिनांक 9.9.2015, RRT 2017 (2) 844 सरकार [illegible] दिनांक 19.01.2017, RRT 2017 (2) 1367 सरकार बनाम कानीदेवी आदेश दि[illegible] 04.[illegible].2017, RRT 2018 (1) 134 सरकार बनाम भादे व अन्य आदेश दिनांक 28.6.2[illegible] पेश की गयी।

अतः तह[illegible] द्वारा बिना जॉच पडताल किये कि अप्रार्थी उक्त आराजी का सदभावी रजिस्टर्ड के[illegible] है। उक्त भूमि मौके पर काश्त हो रहीं है तथा पूर्व व वर्तमान में भूमि का स्वरूप कभी भी गै.मु. तालाब नहीं रहा है, रेफरेंस प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भतः हीं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 अनुसार ख0नं0 313 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा भूमि गै.मु. तालाब खाता सरकार दर्ज है। जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 120 रकबा 2.50 है0 कायम हुये है। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र प्रतापसिंह जाट नि. झज्जर जिला—झज्जर के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सम्वत् 2044—62 में मूल खातेदार जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद थे। खातेदार द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी राधेश्याम जाट को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की गयी है। जबकि तत्समय सेटलमेंट पूर्व उक्त आराजी की मूल किस्म गै.मु. तालाब दर्ज है, जो आवंटन/नियमन के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसलिये संबंधित खातेदार को आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। इसपर अप्रार्थी का कथन मानने योग्य नहीं है कि उसने उक्त आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2012 को क्रय किया है। क्योकि उस वक्त भी उक्त आराजी की मूल किस्म व स्वरूप गै.मु. तलाई हीं था। अप्रार्थी का दायित्व है कि किसी भी आराजी को क्रय करने के उसके सम्प्रेक्ष्य में सभी अच्छे व बूरे पहलुओं को बारिकी से जानकारी कर, उक्त आराजी को अपने हित में लेवें। चूकि यह प्रमाणित है कि उक्त आराजी ख0नं0 120 रकबा 2.50 है0 सेटलमेंट पूर्व साबिक ख0नं0 313 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा से कायम हुआ है जिसकी किस्म गै.मु. तालाब राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है।

8— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये चूकि यह आवंटन भी इसी परिधि की परिभाषा में शामिल होना पाया जाता है। साथ हीं चूकि किसी भी क्रय—विक्रय से क्रेता को विक्रेता से प्राप्त होने वाले अधिकारों की प्रकृति, गुण एवं उनका दायरा विक्रेता के अनुरूप हीं होता है। इसलिये वर्तमान क्रेता की अधिकारिक स्थिति किसी भी प्रकार आवंटी यानि विक्रेता से भिन्न नहीं हो सकती। फलस्वरूप अप्रार्थी के खाते में दर्ज आराजी ख0नं0 120 रकबा 2.50 है0 को पूर्ववत गै.मु. तालाब खाता सरकार दर्ज करने हेतु रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल को अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:57 IST
Reason: SelfAttested

9— परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में ग्राम माल बमोरी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 2.50 है0 किस्म माल प्रथम, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन व बेचान हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय

राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10— तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 2.50 है0 जो अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र प्रतापसिंह जाट नि. झज्जर जिला—झज्जर के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 2.50 है0, वाके ग्राम माल बमोरी तहसील—मॉगरोल किस्म माल प्रथम की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:57 IST
Reason: SelfAttested